

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(3)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9585

दिनांक: 29-09-2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषय:—पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 में आदर्श मतदान केन्द्र (Model Polling Station) स्थापित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

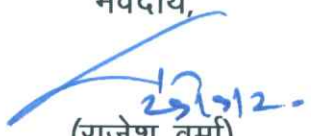
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक मतदान अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक चरण में जिले की किसी एक पंचायत समिति में एक आदर्श मतदान केन्द्र स्थापित किया जावे। आदर्श मतदान केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:—

1. आदर्श मतदान केन्द्र का भवन स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुगम प्रवेश वाला हो तथा मतदान केन्द्र पर स्पष्ट प्रवेश एवं निकास संकेतक (Entry/Exit Signage) लगाए जायें।
2. मतदान केन्द्र पर पर्याप्त प्रकाश एवं विद्युत व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।
3. मतदान केन्द्र को सजाया जायें तथा मतदान से संबंधित एक सेल्फी पॉइंट बनाया जावे।
4. मतदाताओं की सहायता के लिए Voter Assistance Booth स्थापित किया जाए तथा आवश्यक मतदाता सूचना प्रदर्शित की जाए।
5. दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सुविधा हेतु उपयुक्त रैम्प, व्हीलचेयर तथा आवश्यक संकेतक उपलब्ध कराए जायें।
6. मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के लिए छायादार प्रतीक्षा स्थल एवं व्यवस्थित कतार व्यवस्था की जाए। आवश्यकतानुसार स्वयंसेवकों एवं NSS की सहायता ली जाए।
7. मतदान केन्द्र पर प्राथमिक उपचार (First Aid) की व्यवस्था रखी जाए तथा आवश्यकतानुसार अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए।
8. मतदान केन्द्र को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं मतदाता-अनुकूल बनाया जाए तथा स्थानीय कला/संस्कृति एवं पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का, जहाँ संभव हो, उपयोग किया जाए।
9. संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आदर्श मतदान केन्द्र (Model Polling Station) पर निर्धारित सभी व्यवस्थाएँ मतदान दिवस से पूर्व पूर्ण कर ली जाएँ तथा मतदान दिवस पर उनकी उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए।

10. आदर्श मतदान केन्द्रों की पांच-पांच (5-5) फोटो मय विवरण आयोग को गूगल ड्राइव मार्फत भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, तत्समय गूगल ड्राइव का लिंक आपको उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

उक्तानुसार पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 29-09-2026

क्रमांक: एफ. 7(3)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9586-91

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. कम्प्यूटर शाखा को, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने तथा आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा/स्टोर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


उप सचिव